उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 18/2016–17

बासुदेव राय ..... अपीलकर्ता

बनाम

लखी मिर्धा ..... उत्तरकारी

।। आदेश ।।

04/04/2017 यह रे0मि0 अपील वाद सं0– 18/2016–17 बासुदेव राय बनाम् लखी मिर्धा, सा0 पहाड़गोड़ा, अंचल मसलिया के बीच के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद 216/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2016 के विरूद्ध में दायर किया गया है।

मैंने अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा पहाड़गोड़ा के दाग सं0 196 रकवा 03 बीघा 11 कठ्ठा 08 धूर जमींन गत सर्वे सेटेलमेंट में परती कदीम बोलकर दर्ज है। प्रश्नगत जमींन अपीलकर्त्ता के जमाबन्दी जमींन से सटा हुआ है। अपीलकर्त्ता के पूर्वज द्वारा उक्त जमींन को कृषि योग्य खंडित कर गत 60 वर्षो से जोत आबाद कर रहा है। उक्त जमींन के दो बीघा जमींन को उत्तरकारी द्वारा छल (Cunningly) से वर्ष 1980 में बन्दोबस्ती करा लिया है। उत्तरकारी द्वारा कभी भी जोत आबाद नहीं किया गया है। जब उत्तरकारी द्वारा उक्त जमींन का सीमांकन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय के रे0मि0 वाद सं0 06/2012–13 दायर किया तो अपीलकर्त्ता को इस बन्दोबस्ती के संबंध में मालूम हुआ। तत्पश्चात अपीलकर्त्ता एवं 18 अन्य लोगों द्वारा उक्त बन्दोबस्ती को रद्द करने हेतु सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 33 के अन्तर्गत निम्न न्यायालय में रे0मि0 वाद सं0 216/2012–13 दायर किया गया जिसमें अंचल अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के पश्चात अपीलकर्त्ता के आवेदन को निरस्त किया गया। इस पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि बन्दोबस्ती के बाबजूद भी उत्तरकारी उक्त जमींन पर दखल में कभी भी नहीं रहें है। कर्मचारी के प्रतिवेदन में भी उल्लेख है। कागजी रिपोर्ट के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उत्तरकारी हरिजन है। उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बन्दोबस्ती प्राप्त है। सीमांकन के दौरान ग्रामीणों द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया गया है। अतः अपीलकर्त्ता का दावा गलत है।

16/– रैयतों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उत्तरकारी का प्रश्नगत जमींन पर कभी दखल नहीं रहा है। 16/– रैयतों की ओर से इस संबंध में आवेदन भी दाखिल किया गया है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि उत्तरकारी को उक्त दाग में दो बीघा जमींन एस0आर0 वाद सं0 282/1978–79 में बन्दोबस्ती मिला है तथा लगान एक रूपये प्रति बीघा के दर से धार्य किया गया है। उत्तरकारी द्वारा लगान का भुगतान किया जाता है एवं इसी आधार पर उनका नाम हाल सर्वे में भी खुल गया है जिसका खाता सं0 13 है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि बन्दोबस्ती के बाद उत्तरकारी का दखल था वर्त्तमान में अपीलकर्त्ता के बाधा डालने के कारण उत्तरकारी का उक्त जमींन पर दखल नहीं कर पा रहें है।

अभिलेख में दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता का दावा/आपत्ति उत्तरकारी के साथ की गई बन्दोबस्ती के समय से ही है जो अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पत्रांक 26/रा0 दिनांक 23.01.1980 में भी उल्लेख है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमींन पर उभय पक्षों का विवाद उत्तरकारी के साथ की गई बन्दोबस्ती के समय से है। अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि प्रश्नगत जमींन को खंडित किसके द्वारा किया गया है तथा वर्त्तमान में किसका दखल कब्जा है। इस संबंध में अंचल अधिकारी से स्थल जाँच कर स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्तकर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि इस पर स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त कर विधिसम्मत आदेश पारित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।